F.291015 (169)

समक्ष न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल महोदय
जबलपुर

नि/3682-I-15

पुर्नरीक्षण प्रकरण कमांक .... / 15

पुनरीक्षणकर्ता :- किशोर कुमार पिता स्व बलभद्र प्रसाद
आपत्तिकर्ता आयु 40 वर्ष निवासी ग्राम महगवां तह. पनागर, जिला जबलपुर

विरूद्ध

अनावेदक कं 1 :- सुखदेव पटेल पिता स्व. कंधीलाल पटेल
आवेदक आयु 88 वर्ष निवासी ग्राम महगवां तह. पनागर, जिला जबलपुर

अनावेदक कं 2 :- धनीराम काछी पिता चेतराम काछी
अनावेदक आयु 65 वर्ष निवासी ग्राम महगवां तह. पनागर, जिला जबलपुर

पुनरीक्षण आवेदन धारा 50 (1) म.प्र. भू राजस्व संहिता

अर्पित वर्मा
अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
प्रस्तुतकार रीडर
07 OCT 2015
कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग

पुनरीक्षणकर्ता द्वारा यह पुनरीक्षण न्यायालय नायब तहसीलदार पनागर द्वारा राजस्व प्रकरण क्र. 17/अ-70/12-13 सुखदेव विरूद्ध धनीराम में पारित आदेश दिनांक 18.09.15 से व्यथित होकर निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत किया जा रहा है :-

पुनरीक्षण के तथ्य

1. यह कि माननीय न्यायालय द्वारा कलेक्टर महोदय के न्यायालय ...

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक - निग0 3682-एक/15 जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26-5-16	प्रकरण का अवलोकन किया गया यह निगरानी तहसीलदार, पनागर द्वारा प्रकरण कमांक 17/अ-70/12-13 में पारित आदेश दिनांक 18-9-15 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 1 सुखदेव पटेल द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में संहिता की धारा 250 के तहत अनावेदक कमांक 2 धनीराम के विरूद्ध आवेदन पेश कर कब्जा दिलाए जाने का अनुरोध किया गया । उक्त आवेदन पर प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रकरण में कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान अजावेदक कमांक 2 द्वारा सिविल न्यायालय के आदेश दिनांक 6-3-12 की प्रति पेश किए जाने पर नायब तहसीलदार ने आदेश पत्रिका दिनांक 12-3-15 के अनुसार राजस्व निरीक्षक को दोनों पक्षों के समक्ष सीमांकन कार्यवाही संपज्न कराने के निर्देश दिए । इसके उपरांत आवेदक द्वारा आपत्ति प्रस्तुत कर सीमांकन कार्यवाही स्थगित करने की मांग की गई । आलोच्य आदेश द्वारा नाययब तहसीलदार ने रा0नि0 एवं हल्का पटवारी को सीमांकन कर पंचनामा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है । 3/ आवेदक एवं अनावेदक कमांक 2 के अधिवक्ता के तर्क सुने गये । 4/ उभयपक्ष अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का तथा आलोच्य आदेश का अवलोकन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सिविल न्यायालय के निर्णय के आधार पर सीमांकन कार्यवाही प्रारंभ की गई है । अधीनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों की उपस्थिति में सीमांकन कर सीमांयकन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं । प्रकरण में सीमांकन अभी होना है जहां आवेदक/आपत्तिकर्ता अपनी बात रख सकता है । ऐसी स्थिति में	

प्र0 क0 निगरानी - निग0 3682-एक/15 (किशोर कुमार विरूद्ध सुखदेव पटेल आदि)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की जा रही कार्यवाही में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है । परिणामतः यह निगरानी निरस्त की जाती है । उभयपक्ष सूचित हों एवं अभिलेख वापिस हो । सदस्य	